

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

क्रमांक/ /प्र.सं./पविनि/2016

भोपाल दिनांक-

परिपत्र

मध्यप्रदेश शासन की नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत पर्यटन निगम, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने की दिशा में इच्छुक निवेशकों को सम्बन्धित लैंड पार्सल, मार्ग सुविधाओं(WSA), विरासतीय स्थल (Heritage Spots) इत्यादि का भ्रमण कराया जाता है। इस दौरान आवश्यकता पड़ने पर निवेशकों को बोट क्लब, रेस्टोरेन्ट एवं आवास आदि की सुविधा निगम की इकाइयों के माध्यम से दी जाती है।

ऐसे निवेशक अतिथि जिन्हें संचालक पर्यटन संवर्धन इकाई (टी.पी.यू.) निगम मुख्यालय द्वारा नामित कर इकाइयों में भेजा जावे से इकाई द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का पृथक से भुगतान नहीं लिया जाकर उन अतिथियों के देयक फैंम टूर के अंतर्गत पारित कर, प्रतिपूर्ति / समायोजन हेतु सीधे महा प्रबंधक (विपणन) को प्रेषित किया जावे। यह व्यवस्था केवल संचालक (टी.पी.यू.) द्वारा अधिकृत निवेशक अतिथि पर ही लागू होगी।

प्रबंध संचालक

पृष्ठ क्रमांक/13636/प्र.सं./पविनि/2016
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक- 25/11/16

- 1- अपर प्रबंध संचालक, निगम मुख्यालय भोपाल।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, निगम मुख्यालय भोपाल।
- 3- समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक एवं उनके आधीनस्थ इकाई प्रबंधक।

प्रबंध संचालक